न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहनलाल वगै0 बनाम कमलेश वगै0 अपील विरूद्व निर्णय नामान्तकरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/07/2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्टस की ओर से अपील श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट ने पेश की। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री सुरज कुमार सैनी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 स्वंय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतू नियत की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्टस ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आपस मे भाई है व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माता है तथा एक ही परिवार के सदस्य है जो पि0 लोहडिया उर्फ लोहडीराम पुत्र काना की संतान व पत्नी है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 72 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 186 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 187 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 188 रकबा 3 बिस्वा, वाकै ग्राम रतनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक भूमि है जो अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता पि0 लोहडिया उर्फ लोहडीराम पुत्र काना के नाम से खातेदारी चली आ रही है। परन्तु उनकी मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तकरण अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत के 3 के नाम खुल चुका है परन्तु राजस्व कर्मचरीयो द्वारा अपीलान्टस का नाम सहबन से अपीलान्टस मोहनलाल की जगह नारीलाल व अपीलान्टस विजेन्द्र कुमार की जगह बबलू अंकित कर दिया है जो गलत है अपीलान्टस का नामान्तकरण खोला गया तब अपीलान्टस नाबालिंक थे इसलिए अपीलान्टस उक्त नामान्तकरण के बारे में कुछ नही जानते थे जिससे अपीलान्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी नही रही थी। अपीलान्टस अब वयस्क हो गये है। उक्त आराजी वादगस्त का राजस्व कर्मचारीयो द्वारा नामान्तकरण भरते समय वारिसान की सही जांच नही की तथा	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

गिरदावर ने भी नामान्तकरण में भी बिना जांच किये तुलना करदी जिससे अपीलान्टास के नाम की सही अंकन नही हुआ है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः नामान्तकरण संख्या 194 वाके ग्राम रतनपुरा तस्दीक दिनांक 20-07-2004 द्वारा ग्राम पंचायत श्यामपुरा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को इस आशय से रिमाण्ड की जाती है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 20-07-2004 पुनः विधिवत वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०